

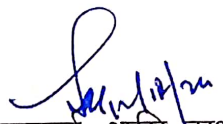
कार्यालय उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, मेदिनीनगर।

आ दे श

अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर के पत्रांक 1111 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमति वाद संख्या 09/2024-25 का जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार, विक्रेता श्री जितेन्द्र सिंह पिता श्री रामानन्द सिंह ग्राम-चियांकी बैगाटोली, पो०-चियांकी थाना सदर मेदिनीनगर जाति चरो (अ०ज०जा०) एवं क्रेता श्रीमति प्रीति कुमारी पति श्री दिनेश कुमार सिंह ग्राम- चियांकी बैगाटोला पो०-चियांकी थाना सदर मेदिनीनगर जिला पलामू जाति चरो (अ०ज०जा०) को विक्री करने का प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता चरो (अनुसूचित जन जाति) जाति के हैं और अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आते हैं। क्रेता एवं विक्रेता एक ही गांव, थाना एवं जिला के निवासी हैं अन्तरण अनुमति वाद संख्या 09/2024-25 में दी गयी स्वीकृति के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत भूमि अन्तरण करने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का विवरण

क्र०	अंचल का नाम	ग्राम/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
1	सदर मेदिनीनगर	चियांकी/206	59	919	7.25 डी०


उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक.....91...../भू०सु०, दिनांक.....12/12/2024...../

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री जितेन्द्र सिंह पिता श्री रामानन्द सिंह निवास ग्राम-चियांकी बैगाटोली,
पो०-चियांकी थाना मेदिनीनगर जाति चरो (अ०ज०जा०) को सूचनार्थ प्रेषित।


उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।